

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 07/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00208

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

नारायणलाल पुत्र जोराराम जाति गाडोलिया
लोहार निवासी बसंत तहसील सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना

—: निर्णय :-

दिनांक:- 06.01.2022

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के उसके हक में दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव खसरा नंबर क्रमशः 427/2 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रिकॉर्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी नारायणलाल पुत्र जोराराम जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसंत तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव के खसरा नंबर 427/2 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 725 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि वर्ष 2013 में आवंटन हुई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी का बाहर रहने से कब्जा काश्त नहीं था। वर्तमान में अप्रार्थी गांव बसंत में ही निवासरत है और उक्त भूमि पर स्वयं ने ही अभी कब्जा कर लिया है। एवं इसी भूमि से संबंधित वाद सं. 31/2014 राजस्व अपील अधिकारी पाली में विचाराधीन है। एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रार्थी के पक्ष में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर अथवा जिला कलेक्टर पक्षकार नहीं होने से स्थगन प्रभावी नहीं माना जा सकता है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1-क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत् 2073-76 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमि पर भी काश्त करनी होती है जो नहीं की गई है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नहीं देने पर श्रीमान के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस नो इस्ट्रक्शन प्लीड करते हुए निवेदन किया कि उनके फरीकेन को उनके द्वारा लिखित में नोटिस देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए है। इस पर अप्रार्थी को बार-बार आवाजें लगवाई गईं। बावजूद इसके अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आवंटी ने दिनांक 13.02.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत आवेदन किया गया था उक्त आवंटन ग्राम बाबागांव पटवार हल्का बसंत के खसरा नंबर 427/2 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि का आवंटन

क्रमशः..... 2

जिला कलेक्टर, पाली




किया गया था उक्त आराजी पर आवंटी अप्रार्थी का आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत् 2073-76 से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के पत्रांक/राजस्व/2021/915 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमी वर्ष 2013 में आवंटन हुई थी। अप्रार्थी का बाहर रहने के कारण कब्जा काश्त नहीं था। वर्तमान में अप्रार्थी गांव बसंत में ही निवासरत है और उक्त भूमी पर स्वयं ने अभी कब्जा कर लिया है। एवं इसी भूमी से संबंधित वाद सं. 31/2014 राजस्व अपील अधिकारी पाली में विचाराधीन है। एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रार्थी के पक्ष में यथार्थिती बनाये रखने का आदेश पारित किया है। पर राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। नियमानुसार आवंटी को आवंटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमी पर काश्त करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है आवंटी का कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं है अतः आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आवंटी अप्रार्थी नारायणलाल पुत्र जोराराम जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव पटवार हल्का बसन्त के खसरा नंबर 427/2 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।




(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिन्ना कलेक्टर, पाली